

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत का वन अधिकार अधिनियम (2006):
वैश्विक स्तर पर बहिष्करण कानूनों के अतिरिक्त

www.nextias.com

भारत का वन अधिकार अधिनियम (2006): वैश्विक स्तर पर बहिष्करण कानूनों के अतिरिक्त

संदर्भ

- भारत का वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, और वनवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जो वैश्विक संरक्षण नीतियों से भिन्न है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय कानून संरक्षित क्षेत्रों में मानव पहुँच को सीमित करते हैं।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

- यह आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के रूप में जाना जाता है।
- इसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों को ऐतिहासिक अन्यायों से बचाना और उनकी भूमि एवं संसाधन अधिकारों को मान्यता देना है।
- यह अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों को कानूनी रूप से वन संसाधनों तक पहुँच और प्रबंधन सुनिश्चित करता है,
 - जबकि वे जैव विविधता संरक्षण में योगदान करते हैं।
- इस कानून का प्रभाव अनुमानित 150 मिलियन वन-निवासी लोगों, 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि, और 1,70,000 गाँवों पर पड़ता है।

वन अधिकारों के प्रकार (FRA, 2006)

- **व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR):** व्यक्तियों और परिवारों को आजीविका और आवास के लिए वन भूमि पर खेती का अधिकार प्राप्त होता है।
- **सामुदायिक वन अधिकार (CFR):** समुदायों को पारंपरिक सामुदायिक संसाधनों और बांस, शहद, लकड़ी का तेल, महुआ जैसे छोटे वन उत्पादों तक पहुँच का अधिकार प्राप्त होता है।
 - इसमें चराई और मत्स्य पालन अधिकार, वन जल निकायों तक पहुँच, विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवासीय अधिकार, और मौसमी संसाधनों तक पहुँच की अनुमति शामिल है।
- **सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR):** यह CFR से एक कदम आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें वन प्रबंधन अधिकार वन विभाग के बदले ग्राम सभा को दिए जाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम (2006) के अन्य प्रमुख प्रावधान

- **प्रमाण-आधारित दावा:** ग्राम सभाओं (ग्रामीण परिषद्) के माध्यम से वन अधिकारों को रिकॉर्ड और सत्यापित करने का ढाँचा प्रदान करता है।
 - इसमें पारंपरिक ज्ञान और मौखिक साक्ष्य को दावे की पुष्टि के लिए स्वीकार किया जाता है।
- **वनवासियों की ज़िम्मेदारियाँ:** यह वन संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाता है।
- **बेदखली से सुरक्षा:** यह वनवासियों को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बिना जबरन विस्थापन से रोकता है। पुनर्वास और मुआवजे को सुनिश्चित करता है, यदि उन्हें स्थानांतरित किया जाता है।

प्रमुख चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **नौकरशाही विरोध और बहिष्करण:** कई वन अधिकारी FRA के प्रावधानों का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें वन भूमि पर नियंत्रण खोने का भय है।
 - वन प्रशासन प्रायः दावों को अस्वीकार कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी सुरक्षा के बावजूद व्यापक स्तर पर बेदखली होती है।
- **कानूनी लड़ाई और बेदखली:** 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत दावेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया, जिससे 17 लाख आदिवासी परिवार प्रभावित हुए, हालाँकि विरोध प्रदर्शनों के कारण इस आदेश को अस्थायी रूप से रोका गया।
- **संरक्षण नीतियों से टकराव:** भारत का संरक्षित क्षेत्र मॉडल (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत) वन समुदायों के व्यापक स्तर पर विस्थापन का कारण बना है।
 - संरक्षण कानून प्रायः पारंपरिक वन उपयोग को अपराध घोषित करते हैं, जिससे सामुदायिक नेतृत्व वाले जैव विविधता संरक्षण की अनदेखी होती है।
- **CFR की धीमी मान्यता :** अनुमान है कि 30 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि CFR के रूप में स्वीकृत की जा सकती है, जिससे 200 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन प्रगति धीमी रही है।
 - अक्टूबर 2023 तक केवल 2.3 मिलियन भूमि शीर्षक दिए गए थे, जबकि 4.5 मिलियन दावे अनसुलझे बने हुए हैं।

वैश्विक स्तर पर वन संरक्षण प्रयास

- जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD), जिसे 1992 में रियो अर्थ समिट में पेश किया गया, यह 196 देशों द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो संपूर्ण विश्व में संरक्षण कानूनों को निर्देशित करता है।
- संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा (2007) यह IPLCs (स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय) के खिलाफ भेदभाव का समाधान करने के लिए पारित की गई।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा (KMGBF) इसे COP-15 में 2022 में अपनाया गया, जिसमें IPLCs की संरक्षण प्रयासों में समावेशिता सुनिश्चित की गई।
- इसमें '30 by 30' लक्ष्य शामिल है, जिसका उद्देश्य 2030 तक विश्व के 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है, जबकि IPLC की भागीदारी को बढ़ावा देना।

FRA वैश्विक संरक्षण कानूनों से कैसे भिन्न है?

- **सामुदायिक नेतृत्व वाला संरक्षण:** FRA स्वदेशी लोगों को वनों के संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान करता है, जबकि वैश्विक कानून प्रायः उन्हें विस्थापित करते हैं।
- **वनवासियों का कानूनी अधिकार:** FRA अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों को भूमि और संसाधन अधिकार प्रदान करता है।
- **संरक्षण और आजीविका का संतुलन:** FRA समुदायों को छोटे वन उत्पादों की कटाई की अनुमति प्रदान करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता और पारिस्थितिकी संरक्षण दोनों सुनिश्चित होते हैं।

भारत के संरक्षण के लिए कानूनी उपकरण

- **जैव विविधता अधिनियम (BDA), 2002:** यह पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और दस्तावेज बनाने का समर्थन करता है।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर, 1973: भारत में 1,134 संरक्षित क्षेत्र और 58 टाइगर रिज़र्व हैं (फरवरी 2025)।
- अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 244A आदिवासियों की विशिष्ट स्थिति को स्वीकार करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत का वन अधिकार अधिनियम समावेशी संरक्षण के लिए एक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिससे स्वदेशी समुदाय जैव विविधता के संरक्षक बने रहते हैं। इसकी मजबूत कार्यान्वयन प्रक्रिया जंगलों और आजीविका दोनों की रक्षा कर सकती है, जिससे भारत का दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सतत् संरक्षण के लिए एक मॉडल बन सकता है

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 स्वदेशी लोगों और वनवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए जैव विविधता संरक्षण में कैसे योगदान देता है?

